**मांग संख्या 05**
**मुख्य शीर्ष 2056**

**मद कमांक 1 एवं 2**

जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के अंतर्गत सुरक्षा उपकरण क्रय हेतु राशि रूपये 75.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 3 से 5**

राज्य शासन द्वारा खैरागढ़ में उप जेल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रूपये 20.00 लाख व्यय होना संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

| कमांक | पदनाम | संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | पदेन अधीक्षक एवं चिकित्सा अधिकारी (अंशकालीन) | 1 | 500/- प्रतिमाह |
| 2 | सहायक चिकित्सा अधिकारी (अंशकालीन) | 1 | 250/- प्रतिमाह |
| 3 | उप जेलर | 1 | 4500-7000 |
| 4 | शिक्षक | 1 | 3500-5200 |
| 5 | मुख्य प्रहरी | 3 | 3500-5200 |
| 6 | प्रहरी | 19 | 3050-4590 |
| 7 | कम्पाउन्डर(पूर्णकालीन) | 1 | 3050-4590 |
| 8 | वाहन चालक (कनिष्ठ श्रेणी) | 1 | 2610-3540 |
| 9 | स्वीपर | 02 | 2550-3200 |
| | योग | 30 | |

अतः इस कार्य हेतु राशि रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 6**

राज्य शासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की केन्द्रीय जेल जगदलपुर, अम्बिकापुर, उप जेल दंतेवाड़ा, कांकेर एवं केन्द्रीय जेल रायपुर में सेलफोन जैमर स्थापित करने का निर्णय लिया है इस हेतु राशि रूपये 560.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 5,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद कमांक 7**

उप जेल खैरागढ़ के लिए 1 एम्बूलेंस क्रय करने का निर्णय लिया गया है । इस पर राशि रूपये 4.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।